बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक–प्र0 / BSPTCL–02 / 2025 – / पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः– माननीय मुख्यमंत्री द्वारा "प्रगति यात्रा" के क्रम में किये गये घोषणा के आलोक में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड के अन्तर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु सीतामढ़ी जिला के मेजरगंज प्रखण्ड अंतर्गत मेजरगंज में एक नये 2X80 एम0भी0ए0 क्षमता वाली 132 / 33 के0भी0 ग्रिड सब–स्टेशन का निर्माण एवं 132 के0भी0 ड़बल सर्किट मेजरगंज–शिवहर संचरण लाईन एवं सीतामढ़ी–ढ़ाका सिंगल सर्किट संचरण लाईन का प्रस्तावित ग्रिड उपकेन्द्र मेजरगंज में एल0आई0एल0ओ0 एवं ग्रिड उपकेन्द्र शिवहर में 132 के0भी0 के दो लाईन 'बे' के निर्माण हेतु 162.73 करोड़ (एक सौ बासठ करोड़ तिहत्तर लाख) रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2026–27 में 20.00 करोड़ (बीस करोड़) रूपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश–स्वीकृत।

विभागीय राज्यादेश संख्या–955 दिनांक–28.02.2025 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा "प्रगति यात्रा" के क्रम में किये गये घोषणा के आलोक में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड के अन्तर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु सीतामढ़ी जिला के मेजरगंज प्रखण्ड अंतर्गत मेजरगंज में एक नये 2X80 एम0भी0ए0 क्षमता वाली 132 / 33 के0भी0 ग्रिड सब–स्टेशन का निर्माण एवं 132 के0भी0 डबल सर्किट मेजरगंज–शिवहर संचरण लाईन एवं सीतामढ़ी–ढ़ाका सिंगल सर्किट संचरण लाईन का प्रस्तावित ग्रिड उपकेन्द्र मेजरगंज में एल0आई0एल0ओ0 एवं ग्रिड उपकेन्द्र शिवहर में 132 के0भी0 के दो लाईन 'बे' के निर्माण हेतु 162.73 करोड़ (एक सौ बासठ करोड़ तिहत्तर लाख) रूपये की नयी योजना की स्वीकृति एवं उक्त राशि का 20% अर्थात 32.55 करोड़ (बत्तीस करोड़ पचपन लाख) रूपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप एवं शेष 80% अर्थात 130.18 करोड़ (एक सौ तीस करोड़ अठारह लाख) रूपये राज्य सरकार की गारण्टी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में 10.00 करोड़ (दस करोड़) रूपये इक्विटी स्वरूप बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु अबतक 10.00 करोड़ रूपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराया गया है। पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2026–27 में 20.00 करोड़ (बीस करोड़) रूपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 द्वारा मांग की गयी है, जिसे उपलब्ध कराया जाना है।

2. उक्त आलोक में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा "प्रगति यात्रा" के क्रम में किये गये घोषणा के आलोक में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड के अन्तर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु सीतामढ़ी जिला के मेजरगंज प्रखण्ड अंतर्गत मेजरगंज में एक नये 2X80 एम0भी0ए0 क्षमता वाली 132 / 33 के0भी0 ग्रिड सब–स्टेशन का निर्माण एवं 132 के0भी0 डबल सर्किट मेजरगंज–शिवहर संचरण लाईन एवं सीतामढ़ी–ढ़ाका सिंगल सर्किट संचरण लाईन का

प्रस्तावित ग्रिड उपकेन्द्र मेजरगंज में एल0आई0एल0ओ0 एवं ग्रिड उपकेन्द्र शिवहर में 132 के0भी0 के दो लाईन 'बे' के निर्माण हेतु 162.73 करोड़ (एक सौ बासठ करोड़ तिहत्तर लाख) रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2026–27 में 20.00 करोड़ (बीस करोड़) रूपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि माँग सं0–10, मुख्य शीर्ष 4801–बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय–उप मुख्य शीर्ष–05 संचरण तथा वितरण, लघु शीर्ष–190–सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश, उपशीर्ष–0105–बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 की परियोजना, विपत्र कोड–10–4801051900105 विषय शीर्ष 5401–निवेश के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. इस राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा CFMS के माध्यम से सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी0एल0 खाता–PTSPLA014) के मुख्य शीर्ष 8448–स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–120–अन्य निधियाँ, उपशीर्ष–0044–बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0, व्यय शीर्ष–L8448001200044 एवं प्राप्तियाँ–K–8448001200044 में जमा की जाएगी।

5. बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए CFMS खाता संख्या–PTSPLA014 से की जाएगी।

6. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–7355 दिनांक–05.10.2007 के अनुसार इसमें महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

7. उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या–प्र0/BSPTCL–02/2025 के पृष्ठ संख्या–13/टि0 पर दिनांक–10.01.2025 को प्राप्त है।

8. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–प्र0/BSPTCL–02/2025 के पृष्ठ संख्या–37/टि0 पर दिनांक–27.08.2026 को प्राप्त है।

9. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(सुधा गुप्ता)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र0/BSPTCL–02/2025– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–महालेखाकार(लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र0/BSPTCL–02/2025– 4523 /पटना, दिनांक– 02.09.2026

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में),

पटना/अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 एवं आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।